फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक - 28.03.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 80/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट मे नामजद वाछिंत अभियुक्त को 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ पुलिस मुठभेढ़ में किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन,कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन,श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट के नामजद व वाछिंत अभियुक्त अशोक उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेढ़ में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. अशोक कुमार पुत्र अनन्तराम निवासी दिनारपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 27.03.2026 को थाना स्थानीय पर एक वादिनी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 80/2026, धारा 64 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त अशोक उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट को परिवर्तित करते हुए धारा 65(2) बीएनएस एवं 5m/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रजीपुर से छिबरामऊ रोड पर नामजद व वांछित अभियुक्त अशोक उपरोक्त की घेराबंदी की गई। पुलिस द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, किंतु अभियुक्त ने पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से दो बार फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे गोली अभियुक्त अशोक के बाएं पैर में लगी और वह घायल हो गया तथा उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस तथा 01 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 81/2026, धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अशोक उपरोक्त ने पूछताछ पर अपने जुर्म से इकबाल करते हुए बताया कि मैं ग्राम दिनारपुर का रहने वाला हूँ मेरी शादी काफी समय पहले हुयी थी किन्तु प्रसव के समय मेरी पत्नी व सन्तान दोनो की मृत्यु हो गयी थी, उसके बाद मेरी शादी नही हो सकी । हमारे गाव मे तीन-चार दिनो से भागवत कथा चल रही है, दोपहर जब मै भागवत कथा कि तरफ गया था तो मुझे रास्ते मे लड़की अकेली जाती दिखायी दी मैंने उसे पैसे देने का लालच देकर अपनी मढैया पर ले आया और मैंने बहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया था। मैं यहाँ से रात मे कही दूर जाने के लिए छिपता छिपाता खेतो से होकर जा रहा था किन्तु आप लोगो अचानक मुझे घेर लिये जाने पर मैने पकड़े जाने के डर से आप लोगो पर जान से मारने की नियत से अपने पास लिये तमंचे से फायर किये थे । साहब मुझसे गलती हो गयी है माफ कर दो। यही मेरा बयान है।

अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 80/2026 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना कमालगंज
मु0अ0सं0 81/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट थाना कमालगंज
मु0अ0सं0 283/2023 धारा 147/323/504 भादवि थाना कमालगंज

अभियुक्त अशोक कुमार के कब्जे से बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 खोखा कारतूस , 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री ललित कुमार
2. व0उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार
3. उ0नि0 श्री विमल कुमार
4. का0 लोकेन्द्र
5. का0 राहुल कुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी प्रभारी एसओजी मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम-

01.उ0नि0 श्री सन्त कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक-28.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.अखिलेश उर्फ बबलू पुत्र सत्यदेव दुबे निवासी फतेहपुर पिरौली थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ 2.महेश पुत्र रामरूप यादव निवासी देवरामपुर थाना को0 फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ में मु0अ0स0- 479/1999 वाद संख्या 12/2000 धारा 395,412 भादवि0 थाना को0 फतेहगढ जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

*फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-03/डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 28.03.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 20000-20000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

एडीजीसी -श्री अनुज प्रताप सिंह

को0 मो0 हे0 का0 हरवेन्द्र कुमार

पैरोकार हे0 का0 श्याम सिंह